P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-7* October- 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An nalisation*

वैश्वीकरण की अवधारणा : एक अध्ययन

अरूण सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर
अर्थशास्त्र विभाग,
बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय,
अलवर,राजस्थान

सारांश

वैश्वीकरण समकालीन विश्व इतिहास की प्रमुख विशेषता है आज सम्पूर्ण विश्व सिमट कर एक वैष्विक गाँव में रूपांतरित हो गया है यह सत्य है कि आज भी अलग–अलग देश और राष्ट्र मौजूद है, किन्तु वह घनिष्ठ रूप से एक–दूसरे से सम्बन्धित है और एक–दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, यह अन्तर्क्रिया और घनिष्ठ सम्बन्ध जीवन के हर क्षेत्र में अर्थात् अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति, यातायात, संचार तथा राजनीति में देखने को मिलता है मैनफ्रेम स्टीगर के अनुसार वैश्वीकरण के पाँच वैचारिक आयाम हैं उनके अनुसार चार आयाम हैं – आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरण सम्बन्धी, पाँचवाँ वैचारिक आयाम हैं, जो इन चारों में रहता है, इस पंचम आयाम में वैश्वीकरण के सम्बन्ध में नियम, विश्वास और दावे सम्मिलित हैं।

आज सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया ने एक स्थान को पूरे विश्व का प्रतिनिधि बना दिया। परिणामस्वरूप, अन्योन्याश्रितता अत्यधिक बढ़ गई। पिछले दशक में संचार साधनों में अत्यधिक वृद्धि, सूचना तकनीकी एवं यातायात साधनों के विकास ने स्थानीय और वैश्वीय लोगों को एक कड़ी में बांध दिया है। यह प्रक्रिया, जिससे दुनिया भर के सामाजिक संबंधों में घनिष्ठता निकटता आ गई है, वैश्वीकरण कहलाती है। दरअसल यह प्रक्रिया प्रत्येक इकाई को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सूत्र में बांधने का प्रयास करती है।

मुख्य शब्द : उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, 21वीं सदी, नव–उदारवाद, आर्थिक क्षेत्र।

प्रस्तावना

वैश्वीकरण शब्द के निर्माण का श्रेय अर्थशास्त्री थ्योडोर लेविड को दिया जाता है यह माना जाता है कि उन्होंने अपने लेख ''बाजारों का वैश्वीकरण'' (1983) में इसका इस्तेमाल किया। वास्तविकता यह है कि इस शब्द का इस्तेमाल उससे पहले भी हो रहा था लेविड को इस बात का श्रेय है कि उन्होंने इसे लोकप्रिय बनाया और एक बार जब यह शब्द लोकप्रिय हो गया, तो अलग–अलग विद्वानों ने अपने–अपने ढंग से इसको परिभाषित करना शुरू कर दिया, रोलेन्ड रावर्डसन ने वैश्वीकरण की परिभाषा करते हुए इसे विश्व का सिकुड़ना और समग्रता में विश्व की चेतना का तीव्र होना बताया, मार्टिन एलब्रो के अनुसार वैश्वीकरण का मबलब उन सभी प्रक्रियाओं से है जिनके माध्यम से विश्व का जन समुदाय एकल विश्व समाज में समाहित हो जाता है। गिडेन्स का मानना है कि वैश्वीकरण को उन विश्वव्यापी सामाजिक रिश्तों के तीव्र होने के रूप में देखा जा सकता है जिनसे एक–दूसरे से दूर क्षेत्रों में होने वाली स्थनीय घटनाओं को सैकड़ों मील की दूर की घटनाओं से प्रभावित करते हैं, वैश्वीकरण की सबसे अधिक मान्य परिभाषा वह है, जो डेविड हेल्ड ने दी। उनके अनुसार वैश्वीकरण का सरल शब्दों में अर्थ विश्वव्यापी अन्तर्सम्बन्धों का व्यापक गहरा और तीव्र होना है, हेल्ड का मानना है कि वैश्वीकरण की किसी भी परिभाषा में निम्नलिखित तत्वों को समाविष्ट करना जरूरी है – व्यापकता, गहनता, लोच तथा प्रभावशीलता।

वैश्वीकरण कोई नई परिघटना नहीं है, जो बीसवीं सदी के अन्तिम पन्द्रह वर्षो में एकाएक उभरकर सामने आ गई हो, यह इतिहास में विस्तार और अन्तःक्रिया का स्वाभाविक परिणाम है, जर्मन अर्थशास्त्री ए.जी. फ्रैंक वैश्वीकरण के बीजारोपण को प्राचीन युग में सिन्धु सभ्यता तथा सुमेर सभ्यता के बीच व्यापार सम्बन्धों के स्थापित होने में देखते हैं, इसी तरह अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप में पुरातन विश्व में दर्शन, धर्म, भाषा, कला व संस्कृति के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले आदान–प्रदान पंद्रहवीं तथा सोलहवीं शताब्दी के वैश्वीकरण को बताते हैं, इतिहासकार हॉकिन्स और वाइली ने 17वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य

वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोटोवैश्वीकरण कहा है, इस दौर की मुख्य विशिष्टता बढ़ता हुआ व्यापार तथा सांस्कृतिक आदान–प्रदान है, विस्तारवाद अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रबन्धन की विधि और सूचनाओं के आदान–प्रदान के स्तर में अन्तर वे आधार हैं जिन पर प्रोटोवैश्वीकरण को आधुनिक वैश्वीकरण से अलग किया जाता है।

पूँजीवाद के युग के आगमन के साथ वस्तुओं, विचारों तथा व्यक्तियों के आवागमन में तेजी आई, 19वीं सदी के दौरान यातायात व संचार साधनों में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए, इन परिवर्तनों के कारण 20वीं शताब्दी में और बड़े पैमाने पर आदान–प्रदान सम्भव हो सका, इसी शताब्दी में इलेक्ट्रॉलिक संचार साधनों विशेषकर मोबाइल फोन और इण्टरनेट के फलस्वरूप 2010 तक विश्व के करोड़ों लोग नए रूप में एक–दूसरे के साथ जुड़ गए।

आधुनिक दौर के वैश्वीकरण का आरम्भ बिन्दु प्रो. एजाज अहमद के अनुसार द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति का समय है, लेकिन उनका मानना है कि अपने आरम्भिक दौर में इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया तेज नहीं थी, समाजवादी विश्व की मौजूदगी और तीसरी दुनिया के देशों में तीव्र राष्ट्रीय भावना ने वैश्वीकरण पर अंकुश लगाने का काम किया था, 1990 में समाजवादी खेमे और सोवियत यूनियन के विघटन ने तथा तीसरी दुनिया के देशों में राष्ट्रीयता की भावना के कमजोर पड़ जाने से वैश्वीकरण की प्रक्रिया पूर्ण तीव्रता के साथ आरम्भ हो गई। वैश्वीकरण के वर्तमान रूप के अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश के अनुसार चार आधार भूत पहलू हैं–व्यापार और लेनदेन, पूँजी तथा निवेश, व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना तथा ज्ञान का फैलाव. वर्तमान दौर में ऐसी कई चुनौतियाँ हैं जिनको वैश्वीकरण के साथ जोड़ा जा सकता है। जलवायु परिवर्तन, विभिन्न प्रकार का प्रदूषण तथा समुद्र का अवदोहन आदि।

अध्ययन के उद्देश्य

अध्ययन के उद्देश्यों को सारतः अग्रलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

1. वैश्वीकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।
2. वैश्वीकरण का अर्थ एवं परिभाषा बताना।
3. उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के अन्तर्सम्बधों का अध्ययन करना।
4. वैश्वीकरण के लाभों एवं हानियों के सन्दर्भ में इसका मूल्यांकन करना।
5. विकासशील देशों के विकास पर वैश्वीकरण के प्रभावों का अध्ययन करना।
6. वर्तमान काल में वैश्वीकरण की प्रासंगिकता एवं समसामयिक मुद्दों पर इसकी भूमिका का अध्ययन करना।

अध्ययन की पद्धतियाँ

वैश्वीकरण जैसे अन्तर्राष्ट्रीय समसामयिक विषय की व्याख्या एवं अध्ययन के उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि इस विषय के विविध आयाम है जो कि सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक दोनों ही प्रकार के है। अध्ययन की प्रकृति के अनुरूप इस विषय के अध्ययन की पद्धतियां वर्णात्मक, विश्लेषणात्मक एवं समीक्षात्मक है।

इस विषय के अत्यधिक व्यापक होने के कारण इससे सम्बन्धित आंकड़ों एवं सामग्री को इकट्ठा करने के लिए प्राथमिक स्त्रोतों की अपेक्षा द्वितीयक स्त्रोतों का ही अधिक प्रयोग किया गया है।

साहित्यावलोकन

वैश्वीकरण की अवधारणा : एक अध्ययन के सन्दर्भ में किये गये इस शोध के उद्देश्यों तथा शोध पद्धति का विवरण प्रस्तुत करते हुए इस विषय पर लिखे गये साहित्य का अवलोकन, विश्लेषण तथा मूल्यांकन किया गया है यथा–

पुष्पेष पंत द्वारा लिखित पुस्तक ''भूमंडलीकरण एवं भारत'' (2016) में भूमंडलीकरण की अवधारणा एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भूमंडलीकरण के स्त्रोत एवं विकास यात्रा, अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण एवं राजनीति, भूमंडलीकरण एवं संस्कृति, भारत एवं भूमंडलीकरणः अनुभव और सबक तथा भूमंडलीकरण का भविष्य आदि विषयों पर विस्तार से लिखा है।

पुष्पराज गौतम एवं विद्यापति गौतम द्वारा लिखित ग्रन्थ ''भूमंडलीकरण के दौर में श्रम एवं रोजगार की चुनौतियां'' (2016) में लिखा गया है कि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया अपनाने से विकसित देशों को कच्चे माल के साथ–साथ सस्ता मजदूर भी उपलब्ध हो रहा है जिससे कि वे विकासशील देशों का अधिक शोषण कर रहे है।

मैनफ्रेड स्टेगर ने अपनी रचना ''ग्लोबलाइजेशन'' (2017) में लिखा है कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा शब्द है जिसमें आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक एवं पर्यावरणीय प्रक्रिया शामिल है। यह एक बहुआयामी प्रकृति का विषय है तथा यह विश्व के समसामयिक विकास के मुद्दों पर आधारित है।

सिकदर सौमेन द्वारा लिखित पुस्तक ''कंटेम्परेरी इश्यू इन ग्लोबलाइजेशन ''(2006) में विश्व के समसामयिक मुद्दों के सन्दर्भ में वैश्वीकरण की भूमिका का अध्ययन किया गया है। इस पुस्तक में बताया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को संचालित करने वाली नीतियों को वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने काफी प्रभावित किया है विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं पर्यावरणीय मुद्दो एवं औद्योगिक संगठनों ने।

वैश्वीकरण की अवधारणा

समकालीन विश्व में नव–उदारवाद की प्रेरणा से तीन नीतियों को अपनाया जा रहा है, जो एक–दूसरे के साथ निकट से जुड़ी हैं – उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। इन प्रक्रियाओं को मिलाकर आर्थिक सुधार कहा जाता है।

उदारीकरण वह नीति है जिसके अंतर्गत आर्थिक गतिविधि की कार्यकुशलता और उससे मिलने वाले लाभ की अधिकतम वृद्धि के लिए उस पर से सरकारी प्रतिबंध और नियंत्रण हटा दिए जाते हैं, या उनमें ढील दे दी जाती है ताकि बाजार की शक्तियों को बेरोक–टोक काम करने दिया जाए। इसके साथ यह विश्वास जुड़ा है कि आर्थिक गतिविधि में कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए मांग

और पूर्ति तथा मुक्त प्रतिस्पर्धा के नियम को काम करने देना चाहिए। साथ ही व्यापारियों के लिए निजी लाभ और कामगारों के लिए प्रोत्साहनों की विस्तृत गुजांइश रखनी चाहिए।

इस नीति के अंतर्गत व्यक्तियों के कल्याण के लिए राज्य के उत्तरदायित्व को कम करने की कोशिश की जाती है। उदारीकरण के समर्थक यह मानते हैं कि राज्य की कल्याणकारी गतिविधियों को बढ़ाने से व्यक्ति स्वयं परिश्रम से विमुख हो जाते हैं और राज्य के संसाधनों पर भी जरूरत से ज्यादा बोझ पड़ता है। जो लोग अपनी सूझ–बुझ और कठिन परिश्रम के बल पर राज्य की समृद्धि को बढ़ाते हैं, उन पर करों का बोझ बहुत बढ़ जाता है और वे भी परिश्रम से विमुख हो सकते हैं। अतः सब तरह के लोगों को परिश्रम की ओर प्रेरित करने के लिए राज्य की कल्याणकारी सेवाओं को सीमित करना जरूरी है।

निजीकरण या गैर–सरकारीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के किसी महत्त्वपूर्ण हिस्से को अर्थात् किन्हीं विशेष वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन या वितरण को सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व और नियंत्रण से हटाकर निजी या गैर–सरकारी क्षेत्र को उसका स्वामित्व या नियंत्रण प्राप्त करने की अनुमति दे दी जाती है, ताकि उसकी कार्यकुशलता बढ़ाई जा सके, उससे होने वाली वित्तीय हानि को रोका जा सके,उससे अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए लोगों को अधिकतम परिश्रम की ओर प्रेरित किया जा सके, राज्य के बोझ को कम किया जा सके और राष्ट्र की समृद्धि को बढ़ाया जा सके।

वैश्वीकरण की नीति को 1980 के दषक से विशेष लोकप्रियता मिली है। यह नीति उदारीकरण और निजीकरण के तार्किक परिणाम को व्यक्त करती है। इसके अंतर्गत आर्थिक गतिविधि की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए प्रस्तुत अर्थ–व्यवस्था को विश्व के किसी भी हिस्से की आर्थिक गतिविधि के साथ जोड़ने की छूट दे दी जाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी वस्तु के उत्पादन के लिए कच्चा माल विश्व के एक हिस्से में सस्ता मिलता हो, श्रम दूसरे हिस्से में सस्ता पड़ता हो, पूंजी और संयंत्र किसी तीसरे हिस्से में सुलभ हों, और बाजार विश्व के भिन्न–भिन्न हिस्सों में दूर–दूर तक फैले हों तो भूमंडलीकरण की नीति के अंतर्गत इन सबका एक–साथ उपयोग करने में कोई संकोच नहीं किया जाता।

वैश्वीकरण के अंतर्गत उत्पादन, विपणन और सेवाओं का जाल बिछाने तक के किसी भी कार्य को विश्व के किसी भी कोने में संपन्न किया जा सकता है। जहां उसकी लागत सबसे कम आए, उसकी गुणवत्ता उन्नत की जा सके और जहां उससे अधिकतम लाभ प्राप्त हो, वहां उसे सम्पन्न करने की अनुमति और सुविधाएं प्राप्त हों।

आर्थिक क्षेत्र में वैश्वीकरण की नीति बहुराष्ट्रीय निगमों के विस्तार को बढ़ावा देती है। जीवन के अन्य क्षेत्रों पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। यह परिवहन और संचार प्रणाली को उन्नत करके विश्व के सब हिस्सों में निकट संपर्क स्थापित कर देती है। यह एक–जैसी वस्तुओं और सेवाओं को विश्व के कोन–कोने में पहुंचाकर रहन–सहन की एक–जैसी जीवनशैली को बढ़ावा देती है और मनोरंजन के तरीकों में भी एकरूपता ला देती है। अंततः यह संपूर्ण विश्व के लिए एक भूमंडलीय संस्कृति के विकास में योगदान देती है। इस तरह वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने व्यक्तियों और समुदायों के जीवन को विश्वव्यापी आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव के दायरे में ला दिया है।

आर्थिक दृष्टि से वैश्वीकरण संपूर्ण विश्व के आर्थिक समाकलन की प्रक्रिया है, अर्थात् इसमें सब देशों की अर्थ–व्यवस्थाओं को मिलाकर एक ही प्रणाली के रूप में विकसित करने का प्रयत्न किया जाता है। इसका सही तरीका यह होगा कि विभिन्न देशों के बीच व्यापार के सब रास्ते खोल दिए जाएं और पूंजी, तथा श्रम–शक्ति को संपूर्ण विश्व में मुक्त विचरण का अवसर दिया जाए। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी से विशेष लाभ उठाया जाता है – विशेषतः उस प्रौद्योगिकी से जिसके सहारे कोई भी सूचना या संदेश पलक झपकते ही विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाता है। भूमंडलीकरण के अंतर्गत विकासशील देशों को अपनी अर्थ–व्यवस्थाओं में ऐसा संरचनात्मक समायोजन करने के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन दिया जाता है जिससे वे विकसित देशों के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। पिछले कुछ वर्षो में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों को आकर्षित करने में चीन और ब्राजील का स्थान क्रमशः पहला और दूसरा रहा है।

वैश्वीकरण दूसरे पक्ष में क्षेत्रीय आर्थिक समाकलन है जिसमें साधारणतः निकटवर्ती देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बाधाओं को दूर किया जाता है। यह प्रवृति भूमंडलीकरण के रूप में अपने तार्किक परिणाम पर पहुंचती है। इस सम्बंध में अमित भादुड़ी एवं दीपक नैयर ने अपनी पुस्तक ''दा इंटेलीजेंट पर्सनस गाइड टू लिबरलाइजेशन (1996)'' में वैश्वीकरण का बहुलवादी विवेचन किया है।

वैश्वीकरण की मुख्य विशेषताएं

भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया उदारीकरण एवं निजीकरण के साथ जुड़ी हुई है, जिसे पी.वी. नरसिम्हाराव द्वारा 1991 में अपनाया गया था तथा जो एलपीजी के नाम से लोकप्रिय है (एलपीजी–लिबरेलाइजेशन, प्राइवेटिजेशन, ग्लोबलाइजेशन) वैश्वीकरण वास्तव में कॉस्मोपोलिटन जीवन पद्धति के उद्‌भव का आधार है जो वैश्विक सांस्कृतिक व्यवस्था तथा विश्व गांव की अवधारणा को साकार कर रहा है। यह अवधारणा मार्शल मैक्लुहान ने प्रस्तुत की है।

वैश्वीकरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन (1998) में विचार–विमर्श को अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्र नामक पत्रिका में छापा गया। इसके अनुसार वैश्वीकरण बहुलवादी है जो सम्पूर्ण संसार की विभिन्नताओं का समावेश करता है। इसका प्रथम प्रयोग ईयानी एवं रॉबर्टसन ने एक समाजशास्त्रीय अवधारणा के रूप में किया था। अतः इन्हें इसका जनक माना जा सकता है। मैलकम वाल्टर्स ने अपनी पुस्तक 'ग्लोबलाइजेशन (1998)' में लिखा है कि

वैश्वीकरण के अन्तर्गत राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अंतक्रियाओं का पर्याप्त समावेश होता है। इसमें भूगोल तथा राष्ट्रीय सीमाओं के दबाव और बंधन धूमिल हो जाते है। यहां सब कुछ खुला हुआ है।

स्टुअर्ट हाल ने वैश्वीकरण में पाए जाने वाले द्वैतों की चर्चा की है –सार्वभौमिक–विशिष्ट, सजातीयता – विभेदीकरण, एकीकरण– विखंडन, केन्द्रीयकरण– विकेन्द्रीयकरण, सानिध्यता – समन्वयता इत्यादि। विश्व व्यापार, अंतरराष्ट्रीय श्रम विभाजन, बहुराष्ट्रीय उद्यम, प्रवासी श्रमिक वर्ग का अंतर्राष्ट्रीयकरण इत्यादि वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषताएं हैं।

वैश्वीकरण या भूमण्डीकरण की प्रक्रिया ने भौतिक एवं भौगोलिक सीमाओं को समाप्त कर दिया है। अब प्रत्येक क्षेत्र में हम सम्मिलन देख सकते हैं। दूरियां मिट चुकी हैं, चारों ओर कॉस्मोपॉलिटन कल्चर दस्तक दे रही है। वैश्वीकरण के कुछ प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं–

1. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं ज्यादा खुली और ज्यादा गहनता से जुड़ गई हैं।
2. वैश्विक व्यापार में भारी वृद्धि हुई है।
3. अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह ज्यादा तीव्रतर हो गए हैं।
4. विचार, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक तत्वों का आदान–प्रदान उच्चतर गति से होता है।
5. वस्तुओं और सेवाओं का भारी मात्रा में आदान–प्रदान होता है।
6. आदान–प्रदान की जा रही वस्तुओं में भारी विविधता है।
7. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई सेवाओं का प्रवेश हुआ है। उदाहरण के लिए, एक भारतीय वास्तुकार अफ्रीका देशों में किसी भवन की अभिकल्पना कर सकता है और कोई जापानी वास्तुकार फ्रांस या खाड़ी देशों में भवन की संकल्पना कर सकता है।
8. इंटरनेट और मोबाइल फोन ने विश्व भर में कहीं भी तत्काल संप्रेषण संभव कर दिया है। इससे समाजों के ज्ञान की अभिवृद्धि और विकास की गति बढ़ी है। पूरा विश्व एक वैश्विक ग्राम बन गया है।
9. वैश्वीकरण को आर्थिक विकास के घटक के तौर पर देखा जाता है, पर यह देशों के बीच एवं घरेलू स्तर पर आमदनी के अंतर को बढ़ाने, गरीबी बढ़ाने और पर्यावरणीय अवक्रमण को गहरा करने के लिए जाना जाता है।

वैश्वीकरण के लाभ

आधुनिक वैश्वीकरण के आरम्भ होने के साथ ही एक बहस चली आ रही है कि यह मानव समाज के लिए अच्छा है या नहीं. अर्थशास्त्रियों और विद्वानों, राजनीतिक नेताओं और विकसित देशों के नेताओं की एक बड़ी संख्या और उनके अनुयायी वैश्वीकरण का जोरशोर के साथ समर्थन करते हैं। वैश्वीकरण के समर्थकों और नव–उदारवादी आर्थिक सुधारों की हिमायत करने वालों का तर्क है कि पूँजी और वस्तुओं के व तकनीक के स्वतंत्र संचरण से चतुर्मुखी आर्थिक विकास और सकल घरेलू उत्पाद को भारी प्रोत्साहन मिलता है. इस संदर्भ में वह पिछले तीन दशक में चीन के द्वारा की गई आर्थिक प्रगति को एक प्रमाण के रूप में पेश करते हैं और कहते हैं कि वैश्वीकरण को अपनाने से ही चीन का यह विकास सम्भव हो सका. निक गिब्सन वैश्वीकरण के अन्य लाभों की सूची पेश करते हुए कहते हैं कि वैश्वीकरण के कारण छोटे उद्योगों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का विकास हुआ, जो अब सम्पूर्ण विश्व के नए बाजारों में पहुँच रही हैं और इसके फलस्वरूप देशों और महाद्वीपों में यातायात और संचार सम्बन्ध बढ़े हैं।

गिब्सन का मानना है कि वैश्वीकरण से मुक्त व्यापार को बढ़ावा मिलता है और मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्थाओं और उपभोक्ताओं को अनेक तरह से लाभ पहुँचाता है. इनके अनुसार इससे मूल्यों में कमी आती है और उपभोक्ता के लिए हजारों उत्पाद चयन करने के लिए मौजूद रहते हैं वह तो यह भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि विनिर्माताओं के लिए भी मुक्त व्यापार लाभदायक होता है, क्योंकि मुक्त व्यापार के कारण उन्हें एक बड़ा निर्यात बाजार सुलभ हो जाता है. गिब्सन यह भी इशारा करते हैं कि मुक्त व्यापार से देशों और अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह मुमकिन हो जाता है कि वह विशिष्टीकरण की दिशा में जाएं और बेहतर कीमत पर उच्च गुणवत्ता की वस्तुओं को पैदा करें, यह तर्क भी दिया जा रहा है कि वैश्वीकरण से पूँजी के बेरोकटोक संचरण के कारण एफडीआई की मात्रा में वृद्धि होती है और विश्व व्यापार रिपोर्ट 2000 को मानें, तो एफडीआई घरेलू संसाधनों के साथ मिलकर विकास की प्रक्रिया को तेज करने के लिए पर्याप्त पूँजी उपलब्ध करा देती है।

वैश्वीकरण के नुकसान

वैश्वीकरण के जिन लाभों को ऊपर गिनाया गया है, यह वो लाभ हैं, जो सिद्धान्त में ज्यादा और व्यवहार में कम पाए जाते हैं स्वयं गिब्सन को यह स्वीकार करना पड़ा है कि जहाँ वैश्वीकरण की अनेक विशेषताओं से लाभ होता है वहीं पर दूसरी विशेषताएं देशों और अर्थव्यवस्थाओं के लिए समस्याएं पैदा करने का काम करती हैं. अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए गिब्सन ने लिखा है कि वैश्वीकरण से सबसे बड़ा खतरा यह है कि अल्पविकसित देशों की अर्थ–व्यवस्थाओं को इससे भारी नुकसान होता है. मुक्त व्यापार सभी देशों को एकसमान स्तर पर रखने का काम करता है. जिसका मतलब विकसित देशों को लाभ और अल्प विकसित देशों को नुकसान होता है।

गिब्सन ने जो आशंका जताई है वह एक कड़वी सच्चाई के रूप में सामने आ रही है. वैश्वीकरण के फलस्वरूप तीसरी दुनिया के देशों के कच्चे माल को, प्राकृतिक संसाधनों को तथा खनिज पदार्थ को बेरहमी और बेशर्मी के साथ लूटा जा रहा है. वैश्वीकरण के इस नतीजे के चलते ही विकसित देश और गरीब देशों के बीच असमानता की खाई और गहरी होती जा रही है. गरीब देशों का बेरहमी के साथ किया गया शोषण इन देशों में अनोद्योगीकरण तथा कृषि संकट को जन्म दे रहा है वैश्वीकरण अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश ओर विश्व बैंक के माध्यम से इन देशों को नव–उदारवादी आर्थिक सुधार करने के लिए बाध्य कर रहा है. तीसरी दुनिया के देशों का अनुभव यह बताता है कि आईएमएफ के द्वारा थोपी गई आर्थिक नीतियाँ इन देशों के लिए अल्प–विकास की

बीमारी से भी ज्यादा घातक सिद्ध हुई हैं, इसके फलस्वरूप इन देशों में बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि, भ्रष्टाचार तथा जनसामान्य के अधिकारों का हनन देखने को मिल रहा है. ''बचत उपायों'' के रास्ते पर चलने के नाम पर सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं में कटौती हो रही है तथा वेतन और पेंशन जमा किए जा रहे हैं, इतना ही नहीं, वैश्वीकरण ने राष्ट्रों को बाजार की ताकतों के आदेशों का पालन करने के लिए विवश करके उनकी प्रभुसत्ता पर भी चोट की है.

वैश्वीकरण एक वहनीय अर्थव्यवस्था नहीं है, वैश्वीकरण की जीवनदायी शक्ति बाजार का विकास है, पूँजी के विस्तार और सम्पत्ति के संकेन्द्रण का परिणाम यह है कि विश्व के पैमाने पर भयंकर रूप से गरीबी का विस्तार हो रहा है, गरीबी के बढ़ने का मतलब होता है क्रय शक्ति का अभाव तथा बाजार का सकुचित होना, जिसके चलते अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ता है फलस्वरूप आर्थिक संकट आते हैं, और यह संकट अंततः वैश्वीकरण की व्यवस्था को ध्वस्त कर सकते है।

मूल्यांकन

वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप बाजार का आकार इतना बड़ा हो गया है कि वह राष्ट्रीय सीमाओं से बंधा नहीं रह गया है। परंतु इससे बाजार का महत्त्व इतना बढ़ गया है कि मानव–जीवन के अन्य महत्त्वपूर्ण पक्षों की उपेक्षा होने लगी है। बाजार के लिए नए मानक, नीतियां और संस्थाएं विकसित करने की ओर जितना ध्यान दिया गया है, उतना मनुष्यों ओर उनके अधिकारों पर नहीं दिया गया है। बाजार कार्यकुशलता को बढ़ा सकता है, परंतु यह जरूरी नही कि वह न्याय को भी बढ़ावा दे।

मानव–विकास के क्षेत्र में बाजार बहुत मामूली भूमिका ही निभा सकता है। जब बाजार मनुष्य के नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तब अर्थव्यवस्था भी लड़खड़ाने लगती है, जैसा कि 1997 में पूर्व एशिया के वित्तीय संकट के समय देखा गया।

नई शताब्दी में भूमंडलीकरण के सामने मुख्य चुनौती यह है कि स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और भूमंडलीय स्तर पर बाजार के स्वस्थ विनियमन के लिए उपयुक्त संस्थाएं कैसे विकसित की जाएं और मानवीय, सामुदायिक तथा पर्यावरणीय संसाधनों के विकास को कैसे बढ़ावा दिया जाएं? भूमंडलीयकरण का प्रयास जन–समुदाय को समर्पित होना चाहिए, निजी लाभ को नहीं। चिंता की बात यह है कि विकासशील देशों में भी भूमंडलीकरण की धुन में बाजार को आराध्य देवता बनाकर समाज–कल्याण सेवाओं में भारी कटौती की जा रही है और उच्च शिक्षा तक को बाजार में बिकने वाली वस्तु का दर्जा देकर मानवीय अंश से रिक्त किया जा रहा है। फिर वैश्वीकरण के नाम पर पानी के प्राकृतिक स्रोतों तक का निजीकरण करके मानव–जाति को प्रकृति की अमूल्य देन से वंचित करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं।

वैश्वीकरण ने रोजगार के कुछ अवसर अवश्य पैदा किए हैं, परंतु कई जगह बेरोजगारी भी पैदा की है। उदाहरण के लिए, पिछले दशक में भारत में ही बाजार की कठोर प्रतिस्पर्धा के चलते अनेक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में छंटनी की नौबत आ चुकी है। फिर, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के बावजूद रोजगार के नए अवसर पैदा नहीं हो पाए हैं। व्यापार के उदारीकरण के परिणामस्वरूप देश में विदेशों के सस्ते सामान की बाढ़ आ गई, जिससे स्थानीय माल–निर्माताओं के उत्साह को क्षति पहुंची है।

लोगों की आय के स्तर पर भूमंडलीकरण का प्रभाव यह हुआ है कि धनवान लोग अधिक धनवान हो गए हैं। निर्धन लोग और भी निर्धन हो गए हैं। बात यह है कि धनवान लोग जितनी कुशलता से नई परिस्थितियों के साथ समायोजन कर लेते हैं, निर्धन लोग वैसा नहीं कर पाते। विकासशील देशों के लोग यह अनुभव करने लगे हैं कि देश की अर्थ–व्यवस्था पर देश के बाहर से कोई अनुशासन लागू करना उचित नहीं है। फिर यह प्रश्न भी उठाया जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन के तत्त्वाधान में कृषि, सेवा–कार्यों या एकस्व–सरक्षण के बारे में जो वार्ता चलाई जा रही है, क्या उससे विकासशील देशों के साथ न्याय हो पाएगा? क्या ये देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में विकसित देशों के साथ बराबरी के स्तर पर मुकाबला कर पाएंगे? क्या यहां के लोगों को अपनी योग्यता और परिश्रम के बल पर विकसित देशों में उपर्युक्त और सम्मानपूर्ण रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा?

अंततः संचार प्रणाली के माध्यम से जिस तरह पश्चिमी संस्कृति को विकासशील देशों में फैलाया जा रहा है, क्या वह सब लोगों को उपभोक्तावाद के सांचे में नहीं ढाल देगी? क्या इससे विकासशील देशों की अपनी संस्कृति को क्षति नहीं पहुंचेगी? इस पर गहन विमर्श की आवश्यकता है।

कुछ लेखक एवं विद्वान भूमंडलीकरण को मानव जाति के लिए वरदान मानते हैं। वे यह तर्क देते हैं कि वैश्वीकरण के कारण अब व्यक्तियों और समुदायों की उन्नति के लिए राष्ट्र या राज्य की सीमाएं कोई बाधा नहीं रह गई है। अब उनके लिए ऐसे ज्ञान और संस्कृति का द्वार खुल गया है जो संपूर्ण विश्व से जुड़ी प्रतिभा की देन है। अब स्थानीय समुदायों को विश्वभर की प्रौद्योगिकी, सूचना, सेवाओं और बाजारों से लाभ उठाने का अवसर मिल गया है।

परंतु कुछ विद्वान वैश्वीकरण को विश्व के बहुत बड़े हिस्से के लिए अभिशाप भी समझते हैं। वे यह मानते है कि वैश्वीकरण तीसरी दुनिया 'अर्थात् विकासशील देशों' पर पहली दुनिया (अर्थात् पश्चिम के विकसित देशों) का प्रभुत्व स्थापित करने की चाल है। वे इसे नव–उपनिवेषवाद की एक युक्ति मानते हैं। वे यह तर्क देते हैं कि वैश्वीकरण के बहाने पश्चिमी संस्कृति को भूमंडलीय संस्कृति बनाकर सब जगह फैलाया जा रहा है और इस तरह देश–देशांतर की सांस्कृतिक विविधताओं को मिटाया जा रहा है। वैश्वीकरण की आड़ में स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को पश्चिम की पूंजीवादी प्रणाली से जोड़कर इन्हें तथाकथित भूमंडलीय प्रणाली में विलीन किया जा रहा है। नव–उपनिवेषवाद की अवधारणा को घाना के पूर्व राष्ट्राध्यक्ष एवं साम्यवादी चिन्तक क्वामे नक्रूमा ने विकसित किया है।

वैश्वीकरण के आलोचक यह तर्क देते हैं कि भूमंडलीय संस्कृति और भूमंडलीय अर्थ–व्यवस्था

स्वाभाविक रूप से विकसित नहीं हुई है, बल्कि पूंजीवादी शक्तियों ने स्वार्थ–साधन के लिए इनका आविष्कार किया है। इनकी 'अनिवार्यता' का प्रचार करके अल्पविकसित देशों को इनके जाल में फंसाया जा रहा है। वैश्वीकरण की आड़ में पश्चिम के विकसित देश विकासशील देशों के साथ छल कर रहे हैं।

निष्कर्ष

वैश्वीकरण की प्रक्रिया के गुण–दोषों पर निष्पक्ष विचार करके इसका संतुलित मूल्यांकन किया जाना चाहिए। वैश्वीकरण के आलोचक यह तर्क देते हैं कि वैश्वीकरण ने निर्धनता को मिटाया नहीं है, बल्कि उसे कायम रखा है। इसने आर्थिक विषमताओं को बढ़ाया है। पर्यावरण को प्रदूषित किया है। असहिष्णुता को बढ़ावा दिया है। सैन्यवाद को सहारा दिया है। समुदायों को विखंडित किया है और उपाश्रित वर्गो की दशा पहले से भी दयनीय बना दी है। दूसरी ओर, वे यह भी स्वीकार करते हैं कि वैश्वीकरण के कारण 1945 के बाद विश्व की प्रति व्यक्ति आय तिगुनी हो गई है। विश्व की जनसंख्या में अतिनिर्धन लोगों का अनुपात आधा रह गया है। पर्यावरण के प्रति सजगता बढ़ी है और निरस्त्रीकरण के लिए अनुकूल वातावरण बना है। इससे विकासशील देशों के युवा वर्ग को उच्च तकनीकी षिक्षा प्राप्त करने के लिए न केवल प्रेरणा मिली है, बल्कि उपयुक्त अवसर भी मिले हैं। फिर इससे उपाश्रित वर्गो को अपने भूमंडलीय संगठन बनाने की प्रेरणा मिली है और वे यह अनुभव करने लगे हैं कि वे भूमंडलीय प्रणाली को प्रभावित करने की क्षमता रखते है इन वर्गो ने अपने आपको भूमंडलीय संस्कृति के साथ जोड़ कर अपनी नई पहचान बनाई है, जिससे उन्हें स्थानीय शक्तियों के प्रभुत्व से कुछ हद तक मुक्ति मिली है।

आज पूरी दुनिया तेज गति से बदल रही है, इसलिए परिवर्तन को शंका की दृष्टि से देखना गलत है, नहीं तो अलग–अलग पड़ जाओगे। इस संदर्भ मे थियोडोर लेविट ने लिखा है कि ''हमें वैश्वीय तरीके से सोचना चाहिए और हमारे काम करने के तरीके स्थानीय (देशी) होने चाहिए।''

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *दूबे, अभय कुमार, भारत का भूंमडलीकरण, 2008.*
2. *पंत, पुष्पेष, भूमंडलीकरण एवं भारत, एसेस पब्लिशिंग, 2016.*
3. *गौतम, पुष्पराज, गौतम, विद्यापति, भूमंडलीकरण के दौर में श्रम एवं रोजगार की चुनौतियां, 2016.*
4. *स्टेगर, मैनफ्रेड, ग्लोबलाइजेशन, ओयूपी ऑक्सफॉर्ड पब्लिशर्स, 2017.*
5. *सिकदर, सौमेन, कंटेम्परेरी इश्यू इन ग्लोबलाइजेशन, ऑक्सफॉर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2006.*
6. *स्टिलिग्ज, जोसेफ, ग्लोबलाइजेशन एण्ड इट्स डिसकंटेन्ट, पेंगुइन इण्डिया, 2012.*
7. *स्मिथ, बायलेस, दा ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, पेपरबैक, 2017.*
8. *रॉडरीक, दानी, दा ग्लोबलाइजेशन पैराडॉक्स, डब्ल्यू डब्ल्यू नारटन एण्ड कम्पनी, 2012.*